2025 का विधेयक संख्यांक 111

[दि कांस्टिट्यूशन (वन हंड्रेड एंड थर्टीथ अमेंडमेंट) बिल, 2025 का हिन्दी पाठ]

संविधान (एक सौ तीसवां संशोधन) विधेयक, 2025

भारत के संविधान का और संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (एक सौ तीसवां संशोधन) अधिनियम, 2025 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

अनुच्छेद 75 का संशोधन ।

2. संविधान के अनुच्छेद 75 के खंड (5) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(5क) कोई मंत्री, जो इस प्रकार पद धारण करने के दौरान लगातार तीस दिनों की किसी अवधि के लिए, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अपराध को कारित करने के अभिकथन पर गिरफ्तार किया जाता है और अभिरक्षा में निरुद्ध रखा जाता है, जो ऐसे कारावास से, जो पांच वर्ष या उससे अधिक की अवधि का हो सकेगा, दंडनीय है, उसे ऐसी अभिरक्षा में लिए जाने के पश्चात्, इकतीसवें दिन तक प्रधानमंत्री द्वारा दी गई सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा उसके पद से हटा दिया जाएगा :

परंतु यदि ऐसे मंत्री के हटाए जाने के लिए, प्रधानमंत्री की सलाह राष्ट्रपति को इकतीसवें दिन तक नहीं दी जाती है तो वह उसके पश्चात् आने वाले दिन से मंत्री नहीं रहेगा :

परन्तु यह और कि प्रधानमंत्री के मामले में, जो इस प्रकार पद धारण करने के दौरान लगातार तीस दिनों की किसी अवधि के लिए, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अपराध को कारित करने के अभिकथन पर गिरफ्तार किया जाता है और अभिरक्षा में निरुद्ध रखा जाता है, जो ऐसे कारावास से, जो पांच वर्ष या उससे अधिक की अवधि का हो सकेगा, दंडनीय है, उसे ऐसी गिरफ्तारी और निरुद्ध किए जाने के पश्चात्, इकतीसवें दिन तक अपना पद त्याग देगा और यदि वह अपना त्यागपत्र नहीं देता है तो वह उसके पश्चात् आने वाले दिन से प्रधानमंत्री नहीं रहेगा:

परंतु यह भी कि इस खंड की कोई बात ऐसे प्रधानमंत्री या मंत्री को खंड (1) के अनुसार, उसे अभिरक्षा से निर्मुक्त किए जाने पर प्रधानमंत्री या मंत्री के रूप में राष्ट्रपति द्वारा तत्पश्चात् नियुक्त किए जाने से निवारित नहीं करेगी ।"।

अनुच्छेद 164 का संशोधन ।

3. संविधान के अनुच्छेद 164 के खंड (4) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(4क) ऐसा कोई मंत्री, जो इस प्रकार पद धारण करने के दौरान लगातार तीस दिनों की किसी अवधि के लिए, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अपराध को कारित करने के अभिकथन पर गिरफ्तार किया जाता है और अभिरक्षा में निरुद्ध रखा जाता है, जो ऐसे कारावास से, जो पांच वर्ष या उससे अधिक की अवधि का हो सकेगा, दंडनीय है, उसे ऐसी अभिरक्षा में लिए जाने के पश्चात्, इकतीसवें दिन तक मुख्यमंत्री द्वारा दी गई सलाह पर राज्यपाल द्वारा उसके पद से हटा दिया जाएगा :

परंतु यदि ऐसे मंत्री के हटाए जाने के लिए, मुख्यमंत्री की सलाह राज्यपाल को इकतीसवें दिन तक नहीं दी जाती है तो वह उसके पश्चात् आने वाले दिन से मंत्री नहीं रहेगा :

परंतु यह और कि किसी मुख्यमंत्री के मामले में, जो इस प्रकार पद धारण करने के दौरान लगातार तीस दिन की किसी अवधि के लिए, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अपराध को कारित करने के अभिकथन पर गिरफ्तार किया

जाता है और अभिरक्षा में निरुद्ध रखा जाता है, जो ऐसे कारावास से, जो पांच वर्ष या उससे अधिक की अवधि का हो सकेगा, दंडनीय है, ऐसी गिरफ्तारी और निरुद्ध किए जाने के पश्चात् इकतीसवें दिन तक अपना त्यागपत्र देगा, और यदि वह अपना त्यागपत्र नहीं देता है तो वह उसके पश्चात् आने वाले दिन से मुख्यमंत्री नहीं रहेगा :

परंतु यह भी कि इस खंड की कोई बात, ऐसे मुख्यमंत्री या मंत्री को, खंड (1) के अनुसार, उसे अभिरक्षा से निर्मुक्त किए जाने पर, राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री या मंत्री के रूप में तत्पश्चात् नियुक्त किए जाने से निवारित नहीं करेगी ।"।

अनुच्छेद 239कक का संशोधन ।

4. संविधान के अनुच्छेद 239कक के खंड (5) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(5क) इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यदि कोई मंत्री जो इस प्रकार पद धारण करने के दौरान लगातार तीस दिनों की किसी अवधि के लिए, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अपराध को कारित करने के अभिकथन पर गिरफ्तार किया जाता है और अभिरक्षा में निरुद्ध रखा जाता है, जो ऐसे कारावास से, जो पांच वर्ष या उससे अधिक की अवधि का हो सकेगा, दंडनीय है, उसे ऐसी अभिरक्षा में लिए जाने के पश्चात्, इकतीसवें दिन तक मुख्यमंत्री द्वारा दी जाने वाली सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा उसके पद से हटा दिया जाएगा :

परंतु यदि ऐसे मंत्री के हटाए जाने के लिए, मुख्यमंत्री की सलाह राष्ट्रपति को इकतीसवें दिन तक नहीं दी जाती है तो वह उसके पश्चात् आने वाले दिन से मंत्री नहीं रहेगा :

परंतु यह और कि किसी मुख्यमंत्री के मामले में, जो इस प्रकार पद धारण करने के दौरान लगातार तीस दिन की किसी अवधि के लिए, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अपराध को कारित करने के अभिकथन पर गिरफ्तार किया जाता है और अभिरक्षा में निरुद्ध रखा जाता है, जो ऐसे कारावास से, जो पांच वर्ष या उससे अधिक की अवधि का हो सकेगा, दंडनीय है, ऐसी गिरफ्तारी और निरुद्ध किए जाने के पश्चात् इकतीसवें दिन तक अपना त्यागपत्र देगा और यदि वह अपना त्यागपत्र नहीं देता है तो वह उसके पश्चात् आने वाले दिन से मुख्यमंत्री नहीं रहेगा :

परंतु यह भी कि इस खंड की कोई बात, ऐसे मुख्यमंत्री या मंत्री को खंड (5) के अनुसार, उसे अभिरक्षा से निर्मुक्त किए जाने पर मुख्यमंत्री या मंत्री के रूप में राष्ट्रपति द्वारा तत्पश्चात् नियुक्त किए जाने से निवारित नहीं करेगी ।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

निर्वाचित प्रतिनिधि, भारत के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं । यह अपेक्षा की जाती है कि वे राजनैतिक हितों से ऊपर उठकर केवल लोकहित में और लोगों के कल्याण हेतु कार्य करें ।

2. यह अपेक्षा की जाती है कि पद धारण करने वाले मंत्रियों का चरित्र और आचरण संदेह के किसी अंश से भी परे होना चाहिए ।

3. कोई मंत्री, जो गंभीर दांडिक अपराधों के आरोप का सामना कर रहा है, गिरफ्तार किया जाता है और अभिरक्षा में निरुद्ध किया जाता है, तो वह संवैधानिक नैतिकता के मापदंडों तथा सुशासन के सिद्धांतों को निष्फल कर सकता है या उनमें बाधा डाल सकता है और अंततः लोगों द्वारा उसमें किए गए संवैधानिक विश्वास को कम कर सकता है ।

4. तथापि, ऐसे मंत्री के हटाए जाने के लिए संविधान के अधीन कोई उपबंध नहीं है जो गंभीर दांडिक आरोपों के कारण गिरफ्तार किया जाता है और अभिरक्षा में निरुद्ध किया जाता है ।

5. उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए, ऐसे मामलों में संघीय मंत्रिपरिषद् में प्रधान मंत्री या किसी मंत्री और राज्यों की तथा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की मंत्रिपरिषद् में मुख्यमंत्री या किसी मंत्री के हटाए जाने के लिए विधिक कार्य ढांचे का उपबंध करने हेतु, संविधान के अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 164 और अनुच्छेद 239कक का संशोधन करने की आवश्यकता है ।

6. विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए है ।

नई दिल्ली;
19 अगस्त, 2025

अमित शाह